भाग - III

हरियाणा सरकार

विद्यालय शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 3 जून, 2011

संख्या का.आ. 49/के.अ.35/2009/धा. 38/2011.—निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम 35), की धारा 38 की उप–धारा (2) के साथ पठित उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) ये नियम हरियाणा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011, कहे जा सकते हैं।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

परिभाषाएं।

2. (1) इन नियमों में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) **"अधिनियम"** से अभिप्राय है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम 35);

(ख) **"शैक्षणिक प्राधिकारी"** से अभिप्राय है, राज्य शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्, गुडगांव ;

(ग) **"आंगनवाड़ी"** से अभिप्राय है, भारत सरकार, महिला और बाल विकास मंत्रालय की एकीकृत बाल विकास स्कीम के अधीन स्थापित आंगनवाड़ी केन्द्र ;

(घ) **"परिशिष्ट"** से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट ;

(ड़) **"उपयुक्त कक्षा के लिए उपयुक्त आयु"** से अभिप्राय है, कक्षा में प्रवेश के लिए आयु, जो निम्नलिखित होगी:–

(i) कक्षा एक के लिए: पाँच वर्ष से छह वर्ष ;

(ii) कक्षा दो के लिए: छह वर्ष से सात वर्ष ;

(iii) कक्षा तीन के लिए: सात वर्ष से आठ वर्ष ;

(iv) कक्षा चार के लिए: आठ वर्ष से नौ वर्ष ;

(v) कक्षा पाँच के लिए: नौ वर्ष से दस वर्ष ;

(vi) कक्षा छह के लिए: दस वर्ष से ग्यारह वर्ष ;

(vii) कक्षा सात के लिए: ग्यारह वर्ष से बारह वर्ष ;

(viii) कक्षा आठ के लिए: बारह वर्ष से तेरह वर्ष ;

विद्यालय प्रबधन समिति की संरचना तथा कृत्य।

14. (1) इन नियमों के प्रारम्भ से छह मास के भीतर अपनी अधिकारिता के भीतर गैर सहायता प्राप्त विद्यालय से भिन्न प्रत्येक विद्यालय में एक विद्यालय प्रबधन समिति का गठन तथा प्रत्येक दो वर्ष बाद पुनर्गठन किया जाएगा। विद्यालय प्रबंधन समिति (जिसे, इसमे, इसके बाद, एस०एम०सी० के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) का गठन उपनियम (4) में यथा उपबंधित संयोजक सदस्य को छोड़कर सदस्यों से गठित होगी, जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए है:–

(i) विद्यार्थियों की संख्या 001–300 तक–12 सदस्य ;

(ii) विद्यार्थियों की संख्या 301–500 तक–16 सदस्य ;

(iii) विद्यार्थियों की संख्या 501 या अधिक–20 सदस्य ।

(2) विद्यालय प्रबंधन समिति की सदस्य संख्या का पचहत्तर प्रतिशत बालकों के माता–पिताओं या संरक्षकों में से होगा। विद्यालय में पढ़ रहे बालकों के माता–पिता तथा अभिभावकों की एक सभा का आयोजन समिति के गठन के लिए विद्यालय के मुख्य शिक्षक या वरिष्ठतम शिक्षक द्वारा विद्यालय परिसर में किया जाएगा। माता पिता तथा अभिभावक संघ विद्यालय प्रबंधन समिति के लिए यथाअपेक्षित सर्वसम्मति से सदस्यों का मनोनयन किया जाएगा। किसी मामले में विवाद की दशा में खण्ड शिक्षा अधिकारी/खण्ड मौलिक शिक्षा अधिकारी को जिला तथा बाद में मौलिक शिक्षा अधिकारी को मामले के समाधान के लिए सूचित किया जाएगा ।

(3) विद्यालय प्रबंधन समिति की सदस्य संख्या का शेष पच्चीस प्रतिशत निम्नलिखित व्यक्तियों में से होगा, अर्थात्:–

(क) नगरपालिका या ग्राम पंचायत, जैसी भी स्थिति हो, के निर्वाचित सदस्यों मे से एक–तिहाई सदस्य ;

(ख) विद्यालय के अध्यापकों में से एक–तिहाई सदस्य, जिसका विनिश्चय विद्यालय के अध्यापकों द्वारा किया जाएगा ;

(ग) स्थानीय शिक्षाविदों या विद्यालय के बालकों में से एक–तिहाई सदस्य, जिनका विनिश्चय समिति मे माता–पिताओं/संरक्षकों द्वारा किया जाएगा ।

(4) विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन में पच्चास प्रतिशत सदस्य महिलाएं होगी। विद्यालय प्रबन्ध समिति के कुल सदस्यों में से प्रत्येक में कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गों से संबंधित होगा। विशेष आवश्यकता के साथ बालकों के कम से कम माता या पिता को विद्यालय प्रबंधन समिति में सहयोजित किया जाएगा यदि वह पहले से ही शामिल न हो।

(5) विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष का निर्वाचन करेगी तथा उपाध्यक्ष माता–पिता/संरक्षण सदस्यों मे से होगा। विद्यालय का मुख्य अध्यापक या विद्यालय में जहां मुख्य अध्यापक नहीं है, वहां विद्यालय का वरिष्ठ अध्यापक विद्यालय प्रबंधन समिति का पदेन सदस्य संयोजन होगा।

(6) विद्यालय प्रबंधन समिति मास में कम से कम एक बार अपनी बैठक करेगी और सदस्य–संयोजक द्वारा बैठकों के कार्यवृत तथा विनिश्चय समुचित रूप से अभिलिखित किए जाएंगे और जनता के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।

(7) विद्यालय प्रबंधन समिति, धारा 21 की उपधारा (2) के खण्ड (क) से (घ) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कृत्यों जिसके लिए यह इसके सदस्यों में से लघु कार्यसमूह से गठित हो सकती है, का पालन करेगी, अर्थात्:–

(क) अधिनियम में यथा प्राधिकरण बालक के अधिकारों के साथ ही राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, विद्यालय, माता–पिता और संरक्षक के कर्तव्यों को भी विद्यालय के आस–पड़ोस की जनसाधारण को सरल और सृजनात्मक रूप में सूचित करना ;

(ख) धारा 24 के खण्ड (क) और ङ) तथा धारा 28 का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना ;

(ग) इस बात की निगरानी करना कि अध्यापकों पर धारा 27 में विनिर्दिष्ट कर्तव्यों से भिन्न गैर–शैक्षिक कर्तव्यों का भार न डाला जाए ;

(घ) विद्यालय में आस–पड़ोस के सभी बालकों को नामांकन और निरंतर उपस्थिति को सुनिश्चित करना ;

(ङ) अनुसूची में विहित सन्नियमों और मानकों को बनाए रखने की निगरानी करना ;

(च) बालक के अधिकारों से किसी विचलन को, विशेष रूप से बालकों के मानसिक और शारीरिक उत्पीडन, प्रवेश से इंकार किए जाने और धारा 3 की उपधारा (2) के अनुसार निःशुल्क हकदारियों के समयबद्ध उपबंध को स्थानीय प्राधिकरण की जानकारी में लाना ;

(छ) आवश्यकताओं का पता लगाना, योजना तैयार करना और धारा 4 के उपबंधों के कार्यान्वयन की निगरानी करना ;

(ज) निःशक्तताग्रस्त बालकों की पहचान और नामांकन तथा उनकी शिक्षा की सुविधाओं की निगरानी करना और प्राथमिक शिक्षा में उनके भाग लेने और उसे पूरा करने को सुनिश्चित करना ;

(झ) विद्यालयों में दोपहर के भोजन के कार्यान्वयन की निगरानी करना ;

(ञ) विद्यालय की प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक लेखा तैयार करना ;

(ट) सरकार द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कार्य।

(8) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा प्राप्त किसी धनराशि को एक पृथक् बैंक खाते में रखा जाएगा, जिसकी प्रत्येक वर्ष संपरीक्षा की जाएगी।

(9) उपनियम (6) के खण्ड (ञ) और उपनियम (7) में निर्दिष्ट लेखों को विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष और संयोजक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और उनके तैयार किए जाने की एक मास की अवधि के भीतर स्थानीय प्राधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा।

विद्यालय विकास योजना तैयार करना।

15. (1) विद्यालय प्रबंधन समिति उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें अधिनियम के अधीन उसका पहली बार गठन किया गया है, समाप्ति से कम से कम तीन मास पूर्व एक विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी।

(2) विद्यालय विकास योजना तीन वर्षीय योजना होगी, जिसमें तीन वार्षिक उपयोजनाएं होंगी।

(3) विद्यालय विकास योजना में निम्नलिखित ब्यौरे होंगे : –

(क) प्रत्येक वर्ष के लिए कक्षावार नामांकन के प्राक्कलन ;

(ख) अनुसूची में विनिर्दिष्ट सन्नियमों के प्रति निर्देश से परिकलित, कक्षा एक से पाँच और कक्षा छः से आठ के लिए पृथक रूप से, अतिरिक्त अध्यापकों, जिसके अन्तर्गत प्रधान अध्यापक, विषय अध्यापक और अंशकालिक अध्यापक शामिल हैं, की संख्या की अपेक्षा तीन वर्ष की अवधि से ऊपर होगी ;

(ग) परिशिष्ट I तथा विनिर्दिष्ट II में विनिर्दिष्ट सन्नियमों और मानकों के प्रति निर्देश से परिकलित, तीन वर्ष की अवधि से उपर अतिरिक्त अवसंरचना और उपस्करों की भौतिक अपेक्षा ;

(घ) ऊपर (ख) और (ग) के सम्बन्ध में वर्षवार तीन वर्ष की अवधि से ऊपर अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता, जिसके अन्तर्गत धारा 4 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण सुविधा, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों और वर्दियों जैसी बालकों/बालिकाओं की हकदारी तथा अधिनियम के अधीन विद्यालय के उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए कोई अन्य अतिरिक्त वित्तीय अपेक्षा भी शामिल है।

(4) विद्यालय विकास योजना पर विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष और सयोजक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और उसे उस वित्तीय वर्ष, जिसमें उसे तैयार किया जाता है, की समाप्ति से पूर्व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अपर उपायुक्त को प्रस्तुत की जाएगी।

(5) विद्यालय विकास योजना तैयार करने का प्रशिक्षण तथा एस.एम.सी. के सदस्य संयोजक तथा अन्य के सदस्यों को भौक्षणिक प्राधिकरण द्वारा निदेशक के परामर्श से दिया जाएगा।